न्यायालय जिला कलेक्टर,भरतपुर

प्रार्थना पत्र / 121 / 2015

1–साहबसिंह ।
2–प्रभात । पुत्रान सुघडसिंह जाति जाट निवासी नैवाडा तहसील वैर जिला भरतपुर
3–रिंकेश ।
4–रामश्री विधवा सुघडसिंह .....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर ....रेस्पो0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,136 एल.आर.एक्ट एवं नियम 20 राज0 भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970

उपस्थित :–
1–श्री महाराज सिंह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्ट,
2– राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक 18.01.2024

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 110 / 5 क्षेत्रफल 2बीघा बाके ग्रांम नैवाडा तहसील वैर प्रार्थीयान की पुश्तैनी कब्जे काश्त आराजी है। जिस पर उनका पिछले पचास वर्ष से अधिक से मौके पर भौतिक कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी को आवेदकगण अपने हक में आवंटन / नियमन कराने के अधिकारी हैं। अप्रार्थी ने गलती से मौका एवं कानून के विरुद्ध उक्त विवादित आराजी को गैर मुमकिन पोखर अंकित किया है जब कि यह आराजी कभी भी पोखर के काम नहीं आयी है प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। इसी आराजी खसरा नम्वर 110 / 1–00 को भुटटा बल्द बुद्धा मैना के नाम अन्य नम्वरान 110 / 4, 110 / 2 को हाकिम पुत्र रामचरन व हरीराम पुत्र रामस्वरुप जाटव को आंवटित नियमन किये हुये हैं। इस प्रकार इस भूमि पर गैर मुमकिन पोखर कतई गलत दर्ज हो रही है तथा नदी नाले भी गलत अंकित किया हुआ है। प्रार्थीयान उक्त विवादित आराजी को अपने हक में नियमन कराने के व किस्म आराजी परिवर्तन कराने के पूर्ण अधिकारी हैं, न्यायालय श्रीमान को उक्त आदेश देने के लिए राज. भू राजस्व अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के तहत पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीयान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 110 / 5 / 2–0 बाके ग्रांम नैवाडा तहसील वैर की किस्म गैर मुमकिन पोखर से बारानी बदली जावे नदी नाले के इन्द्राज समाप्त कर सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे तथा प्रार्थीयान के हक में नियमन / आवटन किये जाने हेतु तहसीलदार को आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी एवं तहसीलदार भुसावर से मौका रिपोर्ट तलव की गई। तहसीलदार भुसावर से प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक / रीडर / 23 / 94 दिनांक 01.06.23 सामिल मिसिल की गई। उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

............2

जिला कलक्टर

प्रार्थना पत्र / 121 / 2015
साहब सिंह वगे. बनाम सरकार

योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी कभी मौके पर गैर मुमकिन पोखर या पानी भराव क्षेत्र नहीं रहा है। राजस्व रिकार्ड में गलती से गैर मुमकिन पोखर दर्ज हो गया है। विवादित आराजी प्रार्थीगण की आराजी से चिपटावें स्थिति है। विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों पचासों वर्षो से कब्जे काश्त में चली आरही है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने विवादित आराजी को नियमों के तहत प्रार्थीगण के हक में नियमन किये जाने की प्रार्थना की गई तथा किस्म भूमि बारानी दर्ज कराने की प्रार्थना भी की गई।

अप्रार्थी की ओर राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्को में जाहिर किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन पोखर दर्ज है। उनका तर्क है कि ऐसी भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी मी आती है तथा आवंटन नियमों में भी प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है ऐसी भूमियों को आबटन नियमन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का रिलीफ पाने के हकदार नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावाली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर मनन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 110 / 5 क्षेत्रफल 2बीघा बाके ग्रांम नैवाडा तहसील वैर की भूमि किस्म गैर मुमकिन पोखर राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है, मौके पर पोखर नहीं है, अतः प्रार्थीगण को आबंटित / नियमन किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 ग्रांम नैवाडा तहसील भुसावर का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी में विवादित आराजी खसरा नम्बर 110 / 5 रकवा 2 बीघा की भूमि किस्म गै.मु. पोखर ,नदी नाले दर्ज है। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार भुसावर से प्राप्त रिपोर्ट पत्र कमांक / रीडर / 2023 / 94 दिनांक 01.06.23 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भुसावर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है :–

> 1–......ग्रांम नैवाडा के साविक खसरा नम्बर 110 / 5 रकवा 2 बीघा किस्म गैर मुमकिन पोखर जिसका नवीन खसरा नंबर 146 रकवा 0.32 है0 किस्म गैर मुमकिन पोखर दर्ज रिकार्ड है...... ।
>
> 2–...... मुताविक जमाबन्दी संम्वत् 2075–78 आराजी खसरा नंबर 146 रकवा 0.32 है. किस्म गैर मुमकिन पोखर खाता संख्या 01 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है...।
>
> 3– ......उक्त खसर नंबर उच्चतम न्यायालय के डीबी सिविलयाचिका संख्या 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार दिनांक 02.08.2004 से प्रभावित है.... ।

तहसीलदार भुसावर की रिपोर्ट के साथ प्राप्त मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 24.5.2023 में भी विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 146 रकवा 032 हे0 ग्रांम नैवाडा का प्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका देखा जाकर रिपोर्ट की है जो इस प्रकार है :–

> ''......... ग्रांम नैवाडा के आराजी खसरा नम्बर 146 रकवा 032 हैक्टे. किस्म गै. मुमकिन पोखर पर प्रतिवादीगण साहबसिंह वगै0 के साथ माके पर उपस्थित हुआ। मौके पर उक्त खसरा नम्बर में पोखर बनी हुई है एवं वर्तमान में प्रतिवादियों का किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं है। मोका रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित प्रतिवादियों व अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवायें गये......... ।''

.............3

जिला कलक्टर
भरतपुर

उक्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थीगण के साथ अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो रहे हैं। प्रार्थीगण का मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना इस बात दर्शाता है कि पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका रिपोर्ट सही है एवं वे इससे सहमत हैं।

उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि विवादित आराजी गैर मुमकिन पोखर है। ऐसी भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है। ऐसी भूमियों प्रतिबन्धित श्रेणी में आने से किसी प्रकार से आबन्टन एवं नियमन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का रिलीफ पाने का हकदार नहीं रहते हैं। प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18–01–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)